भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.03.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3583 का उत्तर

किराए में वृद्धि

3583. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए यात्रियों द्वारा अनावश्यक यात्रा को कम करने के लिए यात्री ट्रेन का किराया बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तीन से चार महीने की समयावधि निर्धारित की है जब किराए को पुराने स्तर पर ले जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

किराए में वृद्धि के संबंध में 17.03.2021 को लोक सभा में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 3583 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): कोविड से पूर्व समय के दौरान भारतीय रेलों पर लंबी दूरी की के यात्रियों के लिए दो प्रकार की गाड़ी सेवाएं चलती थीं (i) नियमित समय-सारणी की गाड़ियां और (ii) त्यौहारों/व्यस्त मांग अवधि/भीड़-भाड़ अवधि आदि के दौरान विशेष रेलगाड़ियां। इसके अलावा, तीन प्रकार की विशेष गाड़ियां थी (1) सामान्य किराए पर द्वितीय श्रेणी अनारक्षित विशेष गाड़ियां (2) सामान्य किराया जमा विशेष प्रभार (निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अध्यधीन आरक्षित द्वितीय श्रेणी में 10% और अन्य श्रेणियों में 30%) पर विशेष प्रभारों पर विशेष गाड़ियां, और (3) न्यूनतम तत्काल किराया और तत्काल किराए का अधिकतम तीन गुणा पर सुविधा विशेष गाड़ियां। विशेष प्रभारों पर विशेष गाड़ियां और सुविधा गाड़ियों में दोनों विशेष गाड़ियों के लिए, द्वितीय श्रेणी अनारक्षित के लिए किराया सामान्य द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस सुपरफास्ट किराया था।

कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य एडवाइजरी को देखते हुए, नियमित गाड़ी सेवाएं नियमित समय-सारणी की गाड़ियों के लिए यथा-लागू किराए पर कोविड स्पेशल के रूप में चल रही हैं। कोविड के समय चूंकि यात्रियों की मांग विभिन्न सेक्टरों में एक समान नहीं हैं, इसलिए, उपर्युक्त (2) के तहत विशेष प्रभारों पर विशेष गाड़ियों के लिए पहले से प्रकाशित किराए के अनुसार विभिन्न सेक्टरों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए विशेष प्रभारों पर कुछ विशेष गाड़ियां शुरू की गई हैं। इसके अलावा, महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनारक्षित द्वितीय श्रेणी को आरक्षित द्वितीय श्रेणी के रूप में घोषित किया गया है।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए, कम दूरी की ट्रेनों में किराया भी भिन्न होता है जो या तो कोविड विशेष द्वितीय श्रेणी अनारक्षित एक्सप्रेस अथवा मांग/त्योहार विशेष या यात्री विशेष गाड़ी के रूप में गाड़ियों के वर्गीकरण के आधार पर होता है।

(ख) से (घ): गाड़ी सेवाओं को राज्यों से स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल और फीडबैक के मद्देनज़र चरणबद्ध आधार पर शुरू किया जा रहा है।

*****

S.K